



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन 1944 (श10)

(सं0 पटना 859) पटना, मंगलवार, 18 अक्टूबर, 2022

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

14 अक्टूबर, 2022

सं० 3/एम0-54/2015 सा0प्र0-18474—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 निर्गत है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही, संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. उपर्युक्त संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(1) के प्रावधान के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार भवन, नई दिल्ली के "मुख्य लेखापाल" के पद को उक्त संकल्प की अनुसूची में इस शर्त के साथ सम्मिलित किया जाता है कि इस पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन मात्र एक वर्ष के लिए किया जायेगा।

3. उपर्युक्त पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेगी एवं इस पद पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 859-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>